(114)

समक्षः न्यायालय माननीय राजस्व मण्डेल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी III/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/8789

नुरूद्दीन पुत्र मोहम्मद जाति मसुलमान
निवासी ग्राम बर्धाबुजुर्ग तह व जिला
श्योपुर म.प्र.

.....निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश शासन
जर्ये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर

.....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्योपुर के प्र.कं. 129/10–11/अ–23 (धारा 170ख) में पारित आदेश दिनांक 23.09.2017

मान्यवर महोदय,

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार निगरानी पेश हैः–

निगरानी के संक्षिप्त सार इस प्रकार है

यह कि ग्राम बधाबुजुर्ग तह. व जिला श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे कमांक 843/2 रकबा 2.090हे. निगरानीकर्ता के आधिपत्य एवं भूस्वामित्व की होकर राजस्व अभिलेख खसरा पंचशाला में निगरानीकर्ता के नाम विधिवत दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश से उक्त भूमि को मनमानी पूर्वक रिकार्ड के विपरित नाथ्या पुत्र रंगलाल सहर तथा उसके वारिसों के नाम खसरे में अंकित करने के आदेश मौजा पटवारी को दे दिये है जिससे निगरानीकर्ता का नाम राजस्व अभिलेख से हटकर पूर्व खातेदार के नाम दर्ज करने पर मौजा पटवारी उतारू हो गया है। अधीनस्थ ने आलोच्य आदेश म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 170ख के तहत दिया है जबकि उक्त धारा विचारणीय प्रकरण में लागू नहीं होती है। क्योकि भूमि पूर्व भूमिस्वामी खातेदार गोवर्धन पुत्र फैलू सहर से भूमि निगरानीकर्ता के नाम नहीं आई है बल्कि गोवर्धन के द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र 26.06.65 को उक्त भूमि नाथ्या पुत्र रंगलाल को विकय कर दी थी। फिर भी एक रजिस्टर्ड विकय पत्र को कपटपूर्व अंतरण मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित कर दिया है जिसमें यह भी नहीं देखा कि भूमि निगरानीकर्ता के नाम न्यायालयीन प्रकरण कमांक

कमंशः.....2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/3789

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **सदस्य** **आयुक्त चंबल संभाग मुरैना**	